संख्याः 26 भू0क्य/10(1)/2006

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

राजस्व विभाग देहरादूनः दिनांक 24 अप्रैल, 2006

विषयः—ईलैण्ड इन्टरनेशनल प्रा0लि0 को बांस आधारित उद्योग हेतु ग्राम पदमपुर रोडिया तहसील कालाढूंगी में कुल 4.182 है0 भूमि क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—742/12 जैड0ए0सी0 दिनांक 25—2—2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय ईलैण्ड इन्टरनेशनल प्रा0लि0 को बांस आधारित उद्योग की स्थापना हेतु उत्तरांचल (उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15—1—2004 की धारा—154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत तहसील कालाढूंगी के ग्राम पदमपुर रोडिया में कुल 4.182 है0 भूमि क्रय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:—

1— क्रेता धारा—129—ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2— क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा—129 के अंतर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3— क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की

.....(2)

गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे रूपान्तरण किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6- प्रश्नगत भूमि पर कम्पनीय द्वारा टिश्यू कल्चर नर्सरी, हाईटेक नर्सरी एंव इकोटूरिज्म से सम्बन्धित कार्य ही किये जायेंगे।

7- स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तरांचल के निवासियों को 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन उपलब्ध कराया जायेगा।

8- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त करदी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0एस0पलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एंव तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
2- आयुक्त, कुमॉयू मण्डल, नैनीताल।
3- प्रमुख सचिव, एफ0आर0डी0सी0 उत्तरांचल शासन।
4- मुख्य वन संरक्षक/कार्यकारी अधिकारी, उत्तरांचल बांस एंव रेशा विकास परिषद, देहरादून।
5- मुख्य परियोजना प्रबन्धक, उत्तरांचल बैम्बू फाउण्डेशन, देहरादून।
6- श्री बी0पी0गौतम, रजिस्ट्रार ईलैण्ड इन्टरनेशनल प्रा0लि0 नोएडा उ0प्र0।
7- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(साहिल लाल)